**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**लिखित प्रश्न संख्या : 3118**
**गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर**

## विमानपत्तनों पर सुरक्षा संपरीक्षा

**3118. श्री असादुद्दीन ओवैसीः**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हाल ही में प्रमुख विमानपत्तनों पर व्यापक निगरानी संपरीक्षा की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) ऐसे कितने विमानपत्तन हैं जहां प्रक्रियागत दोषों के कारण विमानों में कमियां पाई गईं;

(ग) क्या विमान के रखरखाव, निरीक्षण या रनवे/टैक्सीवे पर आवाजाही के दौरान सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन न करने के संबंध में कोई विशिष्ट मामले दर्ज किए गए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या डीजीसीए ने इन निष्कर्षों के आधार पर एयरलाइनों, ग्राउंड हैंडलरों या विमानपत्तन प्राधिकरणों के विरुद्ध कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के नागरिक उड्डयन पारिस्थितिकी तंत्र में रैंप सुरक्षा को मजबूत करने, जानकारी देने के तरीके में सुधार करने और ऐसी कमियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

**उत्तर**
**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

(क) से (घ): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हाल ही में पांच प्रमुख हवाईअड्डों नामतः मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और पटना में वृहत सुरक्षा संपरीक्षाएं आयोजित की है।

दिल्ली हवाईअड्डे पर इंजन रखरखाव के दौरान एयरबस ए320-251एनएक्स विमान (वीटी-आईसीपी) में प्रक्रियात्मक चूक देखी गई, जिसमें निर्धारित बोरस्कोप निरीक्षण उपकरण का उपयोग नहीं किया गया था और अनिवार्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं थे।

सभी टिप्पणियों को स्तर- II निष्कर्षों के रूप में वर्गीकृत किया गया था और अनुपालन के लिए संबंधित संगठनों को विधिवत अग्रेषित किया गया था। कोई प्रमुख/महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं पाए गए थे। आवश्यक सुधारात्मक उपायों को लागू करने के बाद संगठनों ने कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत की। सभी निष्कर्षों को संतोषजनक एटीआर की स्वीकृति पर बंद कर दिया गया है।

(ङ) : डीजीसीए ने रैंप सुरक्षा से संबंधित निष्कर्षों, विशेष रूप से रिपोर्टिंग प्रक्रिया और टिप्पणियों की पुनरावृत्ति की समीक्षा की है, और उनकी विशेष संपरीक्षा और अनियोजित जांचों के साथ वार्षिक निगरानी योजना (एएसपी) 2026 को तैयार करने के माध्यम से इनका समाधान किया है।

*****